अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF TOURISM

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	2400,00,00	810,13,63	-1589,86,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1514,70,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	215783.00	86825.50	79393.98	-7431.52
पु.	R.	-128957.50			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	22900.00	500.00	..	-500.00
पु.	R.	-22400.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments		..	527.00	+527.00

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹33378.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹32250.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹33378.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹32250.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3452" – "पर्यटक अवसंरचना – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास" – ₹9850.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण।

(A) Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - ₹9850.00 lakhs - due to non-submission of documents by implementing agencies/states.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(B) Major Head "2552" -

(क) "सामान्य (पर्यटन) – प्रशिक्षण – आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" – ₹1200.00 लाख; तथा

(a) "General (Tourism) - Training - Assistance to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT" - ₹1200.00 lakhs; and

(ख) "पर्यटक बुनियादी ढांचा – पर्यटक आवास – स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास" – ₹21200.00 लाख।

(b) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Swadesh Darshan Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - ₹21200.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के हेतु आंशिक निधियों/निधियों के कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:–

(II) Under Major Head "3452" - savings occurred under the following heads: -

(का) "पर्यटक बुनियादी ढांचा" –

(A) "Tourist Infrastructure" -

(क) "पर्यटक केंद्र" –

(a) "Tourist Centre" -

(i) "पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹2937.73 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडी सीएल) द्वारा दर्शन स्थलों के विकास के लिए काम की धीमी गति के कारण हुई।

(i) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - saving of ₹2937.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to slow pace of work by Murmugaon Port trust and National Highway & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) for development of viewpoints.

(ii) "स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास" – कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹75163.39 लाख की बचत (₹110150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme - Based Tourist Circuits" - saving of ₹75163.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110150.00 lakhs) was due to non-submission of documents by implementing agencies/states.

(iii) "तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" – ₹12410.01 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्राउनफील्ड क्षेत्रों की चुनौतियों के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी की वजह से हुई।

(iii) "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)" - saving of ₹12410.01 Lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to delay in implementation of projects owing to challenges of brownfield areas.

(ख) "पर्यटक आवास – चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना" – प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹19341.08 लाख की बचत (₹19622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Tourist Accommodation - Champion Services Sector Scheme" - saving of ₹19341.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19622.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "प्रशिक्षण" –

(a) "Training" -

(i) "सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण" – प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ₹1331.17 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(i) "Capacity Building for Service Provider" - saving of ₹1331.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to delay in finalization of proposals.

(ii) "होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थानों को अनुदान" – ₹600.00 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(ii) "Grants to Institutes of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(iii) "आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" –

(iii) "Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - saving of ₹2028.66 lakhs

₹2028.66 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें, अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances.

(ख) "संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय" – ₹11398.36 लाख की बचत (₹23400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'विपणन विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन एवं प्रचार पुनर्गठन योजना' की समीक्षा के कारण हुई।

(b) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - saving of ₹11398.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23400.00 lakhs) was due to 'Restructuring scheme of Overseas Promotion & Publicity including Marketing Development Assistance' being under review.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹409.91 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत है।

(III) Under one head saving of ₹409.91 lakhs occurred constituting 48 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचत मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹527.00 लाख (शून्य प्रावधान की तुलना में) का अधिक व्यय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्भया फंड से वित्त पोषित "महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल" की चल रही योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Safe Tourist Destinations for Women" - excess of ₹527.00 lakhs (against nil provision) was due to requirement of funds to meet the committed liability under the ongoing scheme of "Safe Tourist Destination for Women" funded from Nirbhaya Fund by Government of Madhya Pradesh.